अपील रसद संख्या 49/2015 मैसर्स डोगरदास गोपीचन्द, भारत पेट्रोलियम पम्प, नजदीक कोतवाली, श्रीगंगानगर जरिये भागीदार कृष्णलाल पुत्र श्री दुलाराम जाति जाट बनाम स्टेट ऑफ राज0 जरिये जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17.01.2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के अभिभाषक श्री राजेन्द्र ग्रोवर उपस्थित है। विभागीय प्रतिनिधि सुरेश कुमार प्रवर्तन निरीक्षक उपस्थित है। दोनो पक्षो की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी की ओर से यह अपील जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 30.01.2013 के विरूद्ध पेश की गयी है जिसके द्वारा राज0 पेट्रोलियम प्रोडक्ट (लाईसेन्सिग व कन्ट्रोल) ऑर्डर 1990 के तहत जारी अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 3(ए) (ii) (iv), 7 व 11 (i) (iv) (v) का उल्लंघन होना मानकर पेट्रोल पम्प की जमाशुदा अमानत राशि में से 500रूपये जब्त सरकार किये जाने तथा 5534 लीटर पेट्रोल के 8 रूपये प्रतिलीटर की दर से कुल 44772 रूपये जिसे पेट्रोल की जमाखोरी की एवज में बतौर जुर्माना राशि राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिये है, को अपास्त करने के लिये प्रस्तुत की है।

विभागीय प्रतिनिधि का कथन था कि अपीलार्थी द्वारा अपीलकृत आदेश दिनांक 30.01.2013 के विरूद्ध 11.05.2015 को यह अपील प्रस्तुत की गयी है जबकि आदेश से 30 दिन के भीतर अपील प्रस्तुत की जा सकती है। अपील लगभग 2 वर्ष 4 माह पश्चात देरी से प्रस्तुत की गयी है। इसलिए अपील अन्दर मियाद नही होने से इसी बिन्दु पर खारिज की जावे।

गुण दोष पर विभागीय प्रतिनिधि का आगे कथन था कि अपीलार्थी फर्म डोगर दास गोपीचंद बीपीसी पेट्रोल पम्प के नाम से राज0 पेट्रोलियम प्रोडक्ट (लाईसेन्सिग व कन्ट्रोल) ऑर्डर 1990 के तहत जारी अनुज्ञापत्र है। दिनांक 23.05.12 को 7.45 पी.एम. पर उक्त पैट्रोल पम्प बन्द किये जाने की शिकायत पहले दुरभाष पर व बाद में जिला रसद अधिकारी को लिखित रूप में प्राप्त हुई कि उक्त पैट्रोल पम्प पर करीब 60.70 लोग करीब दो घण्टे से खड़े है किन्तु पम्प मालिक द्वारा बिजली बन्द होने का बहाना बनाकर पेट्रोल देने से ईन्कार किया जा रहा है और बीच बीच में पेट्रोल खत्म होने का बहाना कर रहे है जबकि बिजली भी चालु है और पेट्रोल का स्टॉक भी है जिसकी जांच करवाई जाकर उपभोक्ताओं को राहत दी जावे।

उनका आगे कथन था कि दिनांक 23.05.12 को सांय पेट्रोल की दरो में बढ़ोतरी हो चुकी थी और उक्त शिकायत प्राप्त होने पर तुरन्त प्रवर्तन स्टाफ को जांच के लिए भिजवाया गया तो पेट्रोल पम्प बन्द मिला और उनका कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नही मिला और दिनांक 24.05.2012 को प्रात:7.15 बजे पेट्रोल पम्प खुला मिला और डीप रीडिंग ली गई। पेट्रोल की बिकी व डीप चार्ट के अनुसार उक्त फर्म के टैंक में 5534 लीटर पेट्रोल पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि 8 रूपये प्रति लीटर बढ़ोतरी की खबर होने पर

जिला कलेक्टर

49/15 जिला कलक्टर श्रीगंगानगर

जान बूझकर उपभोक्ताओं को पेट्रोल बिक्री बन्द कर दी गई। उनका आगे कथन था कि निरीक्षण के समय फर्म के स्टॉक रजिस्टर में दिनांक 23.05.12 को पेट्रोल का ओपनिंग स्टॉक 576 लीटर दर्ज है जबकि दिनांक 24.05.12 को प्रातः 7.15 पर टैंक में 5534 लीटर पेट्रोल पाया गया और दिनांक 23.05.12 को 8000लीटर पेट्रोल कम्पनी द्वारा भिजवाया गया था जो कि इनवाईस से स्पष्ट है किन्तु उक्त 8000लीटर पेट्रोल का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में नही किया गया। इस प्रकार 23.05.12 को कम्पनी द्वारा भेजे गये 8000लीटर पेट्रोल का इन्द्राज न करके और 5534 लीटर पेट्रोल उपलब्ध होने पर भी वर्किंग हार्स में जान बूझकर कालाबाजारी के लिए पेट्रोल की बिक्री बन्द कर दी। इस प्रकार फर्म द्वारा राज0 पेट्रोलियम प्रोडक्ट (लाईसेन्सिग व कन्ट्रोल) ऑर्डर 1990 के तहत जारी अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 3(ए) (ii) (iv), 7 व 11 (i) (iv) (v) की स्पष्ट उल्लंघना पाये जाने पर नोटिस दिया गया। जिस पर अपीलार्थी की सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 30.01.2013 को अपीलकृत आदेश के द्वारा जमाशुदा अमानत राशि में से 500रूपये जब्त सरकार किये जाने तथा 5534 लीटर पेट्रोल के 8 रूपये प्रतिलीटर की दर से कुल 44772 रूपये जिसे पेट्रोल की जमाखोरी की एवज में बतौर जुर्माना राशि राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिये है जो विधि सम्मत है। इसलिए अपील खारिज की जावे।

इसके विपरीत अपीलार्थी के अभिभाषक का मियाद के बिन्दु पर कथन था कि जिला रसद अधिकारी के आदेश दिनांक 30.01.2013 के बारे में फर्म के अधिवक्ता द्वारा उक्त निर्णय के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। सर्वप्रथम दिनांक 20.04.15 को उक्त आदेश का ज्ञान उस वक्त हुआ है जब जिला रसद अधिकारी के कार्यालय से फोन पर 44772रूपये जुर्माना के रूप में जमा करवाने के लिए कहा गया तो उस पर अपीलार्थी ने 20.04.15 को नकल प्रार्थना पत्र पेश किया और दिनांक 07.05.15 को नकल प्राप्त करके दिनांक 11.05.15 को अपील पेश कर दी जो जानकारी से 30 दिन के भीतर पेश कर दी। इसलिए अपील अन्दर मियाद मानी जाकर गुण दोष पर निर्णय किया जावे।

उनका आगे गुण दोष पर कथन था कि उनके द्वारा दिनांक 23.05.12 को कोई सप्लाई बन्द नही की गयी थी बल्कि सांय करीब 8.00 बजे अचानक लाईट खराब होने के कारण पेट्रोल/डीजल वितरण नही हो सका और न ही स्टॉक में इन्द्राज हो सका। इस संबंध में बिजली ठीक करवाने का बिल प्रस्तुत है। दिनांक 24.05.12 को प्रातः प्रवर्तन स्टाफ द्वारा पम्प का निरीक्षण करने पर पम्प खुला मिला और उनके द्वारा स्टॉक रजिस्टर अपने कब्जे में ले लिया गया। स्टॉक का सत्यापन करने पर सही पाया गया है। अपीलार्थी ने अनुज्ञापत्र की किसी भी शर्त की उल्लंघना नही की है और न ही किसी प्रकार का कोई अवैद्य कार्य किया गया है। इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मैने विभागीय प्रतिनिधि एवं अपीलार्थी के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी फर्म डोगर दास गोपीचंद द्वारा जिला रसद अधिकारी के आदेश दिनांक 30.01.2013 के विरूद्ध यह अपील राज0 पेट्रोलियम प्रोडक्ट (लाईसेन्सिग व कन्ट्रोल) ऑर्डर 1990 के खण्ड 20 के तहत दिनांक 11.05.2015 को पेश की गयी है। जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 30.01.2013 को निम्न प्रकार से आदेश पारित किया गया है:—

—:आदेश:—

मैसर्स डोगरदास गोपीचंद, बीपीसी, पेट्रोल पम्प, नजदीक कोतवाली, श्रीगंगानगर द्वारा पेट्रोल की दरो में 8 रूपये प्रति लीटर बढ़ोतरी की खबर आने के बाद जानबूझकर स्टॉक में केवल 576 लीटर पेट्रोल ही दर्शाया व 8000 लीटर पेट्रोल का अंकन स्टॉक रजिस्टर में नही किया। स्टॉक में 5534 लीटर पेट्रोल होने के बाद भी वर्किंग हार्स में जानबूझकर पेट्रोल की बिक्री बन्द कर राज0 पेट्रोलियम प्रोडक्ट (लाईसेन्सिग व कन्ट्रोल) ऑर्डर के क्लाज 10 व इस आदेश के तहत जारी अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 3(ए) (ii) (iv), 7 व 11 (i) (iv) (v) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः उक्त पेट्रोल पम्प की जमाशुदा अमानत राशि में से 500रूपये जब्त सरकार किये जाते है तथा 5534 लीटर पेट्रोल के 8 रूपये प्रति लीटर की दर से 44772 रूपये जिसे पेट्रोल की जमाखोरी कर अर्जित किये गये है बतौर जुर्माना राशि राजकोष में जमा करवाने के भी आदेश दिये जाते है। साथ ही उक्त पम्प संचालक को चेतावनी भी दी जाती है कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता नही करे अन्यथा पेट्रोल पम्प का लाईसेन्स निलंबन करने की कार्यवाही की जावेगी। निर्णय की प्रति प्रवर्तन अधिकारी, श्रीगंगानगर बीपीसी कंपनी के सेल्स ऑफिसर व लाईसेन्स शाखा को दी जावे। पत्रावली निर्णय होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

जहां तक विभागीय प्रतिनिधि का यह तर्क कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद नही है इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी ने उक्त आदेश 30.01.2013 के विरूद्ध यह अपील राज0 पेट्रोलियम प्रोडक्ट (लाईसेन्सिग व कन्ट्रोल) ऑर्डर 1990 के खण्ड 20 के तहत दिनांक 11.05.2013 को प्रस्तुत की है। **उक्त आदेश 1990 के तहत अनुज्ञापत्रधारक के विरूद्ध कोई आदेश पारित किया जाता है तो उसकी सूचना देनी आवश्यक है।** पत्रावली के अवलोकन से आदेश दिनांक 30.01.2013 की सूचना विभाग द्वारा अपीलार्थी को दिया जाना प्रतीत नही होता है। इसलिए अपीलार्थी का यह कथन कि उसे उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 20.04.2015 को हुई जब जिला रसद कार्यालय से उसे फोन पर 44772रूपये बकाया बताये गये। तब आदेश दिनांक 30.01.2013 की सत्य प्रति प्राप्त करने के लिए 20.04.15 को ही प्रार्थना पेश किया गया जिसकी नकल 07.05.15 को प्राप्त होने पर दिनांक 11.05.15 को बिना किसी विलम्ब के पेश कर दी गई है। इस सन्दर्भ में अपीलार्थी ने मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया है जिसके विपरीत कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नही हुआ है। इसलिए न्याय हित में अपील को अन्दर मियाद माना जाता है।

21.11.15
जिला कलैक्टर

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि दिनांक 23.05.12 को 7.45 पी.एम. पर उक्त पैट्रोल पम्प बन्द किये जाने की शिकायत पहले दुरभाष पर व बाद में जिला रसद अधिकारी को लिखित रूप में उपभोक्ता से प्राप्त हुई कि उक्त पैट्रोल पम्प पर करीब 60.70 लोग करीब दो घण्टे से खड़े है किन्तु पम्प मालिक द्वारा बिजली बन्द होने का बहाना बनाकर पेट्रोल देने से ईन्कार किया जा रहा है और बीच बीच में पेट्रोल खत्म होने का बहाना कर रहे है जबकि बिजली भी चालु है और पेट्रोल का स्टॉक भी है जिसकी जांच करवाई जाकर उपभोक्ताओं को राहत दी जावे। दिनांक 23.05.12 को सांय पेट्रोल की दरो में बढ़ोतरी हो चुकी थी और उक्त शिकायत प्राप्त होने पर तुरन्त प्रवर्तन स्टाफ को जांच के लिए भिजवाया गया तो पेट्रोल पम्प बन्द मिला और उनका कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नही मिला और दिनांक 24.05.2012 को प्रातः 7.15 बजे पेट्रोल पम्प खुला मिला और डीप रीडिंग ली गई। पेट्रोल की बिक्री व डीप चार्ट के अनुसार उक्त फर्म के टैंक में 5534 लीटर पेट्रोल पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि 8 रूपये प्रति लीटर बढ़ोतरी की खबर होने पर जान बूझकर उपभोक्ताओं को पेट्रोल बिक्री बन्द कर दी गई। निरीक्षण के समय फर्म के स्टॉक रजिस्टर में दिनांक 23.05.12 को पेट्रोल का ओपनिंग स्टॉक 576 लीटर दर्ज है जबकि दिनांक 24.05.12 को प्रातः 7.15 पर टैंक में 5534 लीटर पेट्रोल पाया गया और दिनांक 23.05.12 को 8000लीटर पेट्रोल कम्पनी द्वारा भिजवाया गया था किन्तु उक्त 8000लीटर पेट्रोल का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में नही किया गया। इस प्रकार 23.05.12 को कम्पनी द्वारा भेजे गये 8000लीटर पेट्रोल का इन्द्राज न करके और 5534 लीटर पेट्रोल उपलब्ध होने पर भी वर्किंग हार्स में जान बूझकर कालाबाजारी के लिए पेट्रोल की बिक्री बन्द कर दी। इस प्रकार फर्म द्वारा राज0 पेट्रोलियम प्रोडक्ट (लाईसेन्सिग व कन्ट्रोल) ऑर्डर 1990 के तहत जारी अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 3(ए) (ii) (iv), 7 व 11 (i) (iv) (v) की स्पष्ट उल्लंघना है। इस प्रकार जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.2013 विधि सम्मत है और इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है और जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 30.01.2013 यथावत रखा जाता है। जिला रसद अधिकारी कार्यालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रति सहित वापिस लौटाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञानो राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर